उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 196 वीं बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 196वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1	श्री चितरंजन स्वरूप	अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद।	अध्यक्ष
2	श्री डी0सी0 लाखा	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3	श्री एम0ए0ए0ख़ान	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
4	श्री एम0एम0 खान	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन।	सदस्य
5	श्री मुकेश मित्तल	सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
8	श्री एस0एन0 राम	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्री

9	श्री एच0डी0सिंह	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10	श्री सरफराज अहमद	प्रभारी मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	
196 / 1	परिषद की 195वीं बैठक दिनांक 20.09.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 195 वीं बैठक दिनांक 20.09.2006 के मद सं0 8,10,11,12,17,19 एवं 29 पर पारित निर्णय पर सचिव वित्त द्वारा की गयी आपत्ति पर बिन्दुवार आख्या आयुक्त द्वारा परिषद के समक्ष रखी गयी, जिसपर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया। मद सं0–8 परिषद अधिनियम 1965 की धारा 95 (एफ) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को सेवा विनियमावली/सेवा शर्तें बनाने का अधिकार हैं तदनुरूप सेवा विनियमों में संशोधन का पूर्ण अधिकार निदेशक मण्डल में निहित है। अतः प्रकरण में शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। मद सं0–10 अपील स्वीकार रखना माना गया। मद सं0–11 प्रस्ताव में ही शासन को सदर्भित किया जाना है। मद सं0–12 प्रस्ताव स्थगित है। मद सं0–17 काम्प्रीहेन्सिव प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मद सं0–19 के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अपवाद स्वरूप माना जायेगा। मद सं0–29, के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि शासन द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शित निर्देशो के तहत मा. सांसद/मा. विधायक को अनुमन्य आरक्षण के अर्न्तगत नियमानुसार भूखण्डो का आवंटन रखा जायेगा। परिषद की 195 वी बैठक का कार्यवृत्त पढ़ कर सुनाया गया। जिसकी उपरोक्त संशोधन के साथ पुष्टि की गयी।

196/2	परिषद की 195वीं बैठक दिनांक 20.09.2006 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्रशासन अनुभाग

196/3	लखनऊ में अस्थायी रूप से एक नवीन निर्माण खण्ड की स्थापना।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
196/4	परिषद कार्मिकों को वर्ष 2005–06 की अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
196/5	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली–2003 को उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	निर्देश दिये गये कि कर्मचारियो के प्रति नियुक्ति रिर्जब, लीब रिर्जब आदि के उपलब्ध होने के उपरान्त ही प्रस्ताव रखा जाये।
196/6	अधीक्षण अभियंता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
196/7	सहायक अभियंताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
196/8	परिषद कर्मियों को 1 जुलाई, 2006 से शासकीय कर्मियों की भॉति मॅहंगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
196/9	16 नग निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध नए वाहन कय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/10	श्री कृपा शंकर, सहायक अभियंता द्वारा आदेश संख्या 1409/सत0–35/04(1710) दिनांक 27.12.04 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्डों को समाप्त किए जाने हेतु अपील के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/11	श्री एच0आर0मिश्रा, अधिशासी अभियंता संप्रति अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश संख्या 221/सतर्कता दि0 28.2.2004 द्वारा प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/12	श्री दिनेश कुमार, अवर अभियंता को वर्ष 1996–97 में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

196 / 13	परिषद योजनाओं में भूउपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश संख्या 4988 / 8–3–2006 –05 महा / 2005 दिनांक 18.10.2006 को अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	शासनादेश पूर्ण रूप से अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।
196 / 14	परिषद योजनाओं में 15 मीटर से ऊँचे अथवा 400 वर्ग मीटर से अधिक तलक्षेत्र वाले भवनों के मानचित्र की स्वीकृति के समय अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
196 / 15	परिषद योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित पर्यटन उद्योग को निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु घोषित होटल नीति को अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	योजनाओ में प्राविधानित होटल भूखण्डो का निस्तारण आवासीय दर का 75 प्रतिशत आरक्षित मूल्य रखते हुए किया जाये।
196 / 16	परिषद की यू0पी0आई0एल0 में सिटी मान्टेसरी स्कूल को दिए गए भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि स्कूल द्वारा जितना एफ0ए0आर0 उपयोग कर लिया गया है उसी सीमा तक एफ0ए0आर0 रखा जाये।
196 / 17	इन्दिरा नगर योजना विस्तार के समायोजित ग्राम इस्माईल गंज के खसरा संख्या 101 व 102 के सेक्टर–12 की भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित किए जाने के संबंध में।	तथ्यो को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण का निस्तारण आयुक्त स्तर से वांछित है। अतः गुण दोष के आधार पर आवास आयुक्त संदर्भित भूखण्ड का भू उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित करने का निर्णय ले।
196 / 18	परिषद योजनाओं में भूखण्डों पर कार्नर शुल्क लिए जाने के संबंध में नीति।	निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाता है अथवा जिन भूखण्डो का आवंटन किसी नीति के अन्तर्गत जैसे स्कूल भूखण्ड आदि, उनमें कार्नर शुल्क नही लिया जायें।

अभियंत्रण अनुभाग

196/19	टेण्डर माफियाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए शासनादेश को लागू करना एवं निविदाओं की स्वीकृतियों हेतु दो स्तरीय समिति का गठन।	टेण्डर माफियाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए शासनादेश को अंगीकृत किया जाये। निविदाओं की स्वीकृतिया हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास आयुक्त उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगें, जिसकी संस्तुति उपरान्त स्वीकृत करेगें।

भूमि अर्जन अनुभाग

196/20	परिषद की तालकटोरा (राजाजीपुरम) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बिहारीपुर के खसरा संख्या–206 से 211 तक क्षेत्रफल 4–4–15 बीघा भूमि के संबंध में।	भू–स्वामी परिषद द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव पर सहमत है इससे परिषद अवगत हुआ।
196/21	योजना संख्या–7, मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या 3947 से 3951 तक की भूमि रकबा 10–16–00 बीघा भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
196/22	परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून में स्थित खसरा संख्या–92 व 96 की 1.41 एकड़ भूमि को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के संबंध में।	प्रश्नगत भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना उचित न पाते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
196/23	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित लोनी रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद के अन्तर्गत श्री रामा कृष्णा सहकारी आवास समिति की भूमि के समायोजन के संबंध में।	निर्देश दिये गये की पूर्व में नियोजन समिति की संस्तुति एंव परिषद के अनुमोदन के क्रम में पूर्ण विवरण देते हुए शासन को संस्तुति भेजी जाये।
196/24	जनपद गोण्डा में गोण्डा फैजाबाद मार्ग पर जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड गोण्डा की भूमि पर आवासीय योजना संचालित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

196/25	दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना गाजियाबाद में महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट की भूमि को योजना से पृथक/अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

लेखा अनुभाग

196/26	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के किश्तों पर आबंटन की स्थिति में विकय मूल्य पर आबंटियों से ली जा रही ब्याज दरों के संशोधन के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	निर्णय लिया गया कि किस्तो की देय ब्याज मासिक आधार पर न रखकर वार्षिक आधार पर रखते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

196/27	पंचवटी योजना सीतापुर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी0पी0–1 पर माननीय न्यायालय से स्थगन/अवैध कब्जा होने की दशा में भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद द्वारा न दे पाने की स्थिति में ब्याज/दण्ड ब्याज आरोपित न करने के संबंध में।(लख0जोन)	निर्णय लिया गया कि वाद के दौरान कब्जा न किये जाने की अवधि का दण्ड ब्याज आरोपित न किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि अन्य प्रकरणों में भी जहाँ कार्यालय की कमी के कारण कब्जा दिये जाने में विलम्ब होता है। वहाँ भी दण्ड ब्याज न लिया जाये।
196/28	वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 10 ए/55 में दो प्रतिशत की छूट के संबंध में।(लख0जोन)	प्रस्ताव अपवाद स्वरूप स्वीकृति करते हुए निर्देश दिये गये कि प्रकरण दृष्टांत नही माना जायेगा।
196/29	विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री सत्येन्द्र कुमार को आबंटित भूखण्ड संख्या 2/681 के विरुद्ध देय ब्याज/दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ किए जाने के संबंध में।(लख0जोन)	निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 की सुविधा प्रदान की जाये।
196/30	सिकन्दरा योजना के सेक्टर–16 ए में माननीय विधायक श्री प्रताप चौधरी को आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 16ए/301 के स्थान पर सेक्टर–4 में मिक्स लैण्ड यूज पर भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि ले–आउट चेन्ज कराकर नियमानुसार भूखण्ड परिवर्तन की कार्यवाही की जाये।
196/31	परिषद योजनाओं में स्थित आवासीय भूखण्डों के संबंध में उ0प्र0शासन द्वारा गठित की गयी जॉच अवधि के लिए आरोपित विलम्ब शुल्क के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि की सभी मामलो में आवंटी द्वारा देय धनराशि व औपचारिकताऐ पूर्ण करने के उपरान्त यदि परिषद की ओर से विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब

		शुल्क न लिया जाये।
196/32	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र सचान के पक्ष में आबंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी–1851 एवं भवन संख्या सी–1853 के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि अनुरक्षण पर किया गया व्यय तथा कब्जे से पूर्व सम्भावित व्यय न लेते हुए भवन जहाँ है जैसी है स्थिति में आवंटियो को दे दिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि भवनो के मूल्यांकन का आवास आयुक्त पुनः परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
196/33	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–7 ए/269 के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क माफी के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/34	इन्दिरा नगर योजना में डुप्लेक्स भवन संख्या सी–501 डी एवं सी–501 एच का कब्जा एवं ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/35	इन्दिरा नगर योजना रायबरेली में स्थित रामाकृष्णा एकेडमी नर्सरी स्कूल भूखण्ड आबंटन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/36	स्कूल भूखण्डों के लिए पंजीकरण की नियमावली के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/37	परिषद की अंगूरीबाग योजना फैजाबाद के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 149 के विरुद्ध ब्याज माफ करते हुए शेष धनराशि एक मुश्त कराए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया
196/38	आम्रपाली योजना लखनऊ में माननीय विधायक श्री अब्दुल मन्नान को आबंटित भूखण्ड संख्या ई–6/एमएल–6 के स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया

भूमि अर्जन अनुभाग

196/39	लखनऊ गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–1 फैजाबाद के धारा 31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
196/40	लखनऊ गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–2 फैजाबाद के धारा 31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

196/41	रावली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1, पूरक–1 बिजनौर के धारा 31(1) के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
196/42	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	—

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(डॉ एम0ए0ए0खान)
आवास आयुक्त

(चितरजन स्वरूप)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी।